



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड—25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 23, 1946 शक सम्वत्) [संख्या—37

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्द्रा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	699—715	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	323—324	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	319—321	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

राजस्व अनुभाग-3

अधिसूचना

13 अगस्त, 2024 ई०

संख्या-231/XVIII(3)/2024-03(02)/2024-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 3 सन् 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, जिसे अधिसूचना संख्या-512/XVIII(1)/2005 दिनांक 30 जुलाई, 2005 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
नैनीताल	लालकुआं	भावर छः खाता	लालकुआं

आज्ञा से,

रमेश कुमार सुधांशु,

प्रमुख सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of Clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.231/XVIII(3)/2024-03(02)/2024, dated August 13, 2024 for general information.

NOTIFICATION

August 13, 2024

No.231/XVIII(3)/2024-03(02)/2024-- In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P.Act No. 03 of 1901) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt. Notification No. 512/XVIII(3)/2005, dated 30 July, 2005 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Nainital	Lalkuan	Bhavar Chha Khata	Lalkuan

By Order,

RAMESH KUMAR SUDHANSHU,

Principal Secretary, Revenue.

राजस्व अनुभाग-1

अधिसूचना

14 अगस्त, 2024 ई0

संख्या-578/XVIII(1)/2024-E-48496-चूंकि, जनभावनाओं के दृष्टिगत जिला ऊधमसिंहनगर में अवस्थित टाउन "नानकमत्ता" का नाम "श्री नानकमत्ता साहिब" परिवर्तन किया जाना आवश्यक है;

और चूंकि, भारत सरकार के पत्र संख्या-130/53 पब्लिक, दिनांक 11 सितम्बर, 1953 में ग्रामों एवं तहसील के नाम परिवर्तन के पूर्व प्रस्ताव पर भारत सरकार से पूर्वानुमति लिया जाना अपेक्षित है;

और चूंकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-11/7/2024-M&G दिनांक 15.07.2024 तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-SM/28/13/2024, दिनांक 10.04.2024 में टाउन "नानकमत्ता" का नाम परिवर्तन कर "श्री नानकमत्ता साहिब" किये जाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति दी जा चुकी है;

अतएव अब राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, वर्ष 1904) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से जिला ऊधमसिंहनगर स्थित टाउन "नानकमत्ता" का नाम नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार परिवर्तन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र0सं0	वर्तमान नाम	परिवर्तित नाम
1.	नानकमत्ता	श्री नानकमत्ता साहिब

2- राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में जिसमें अब तक उक्त के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया गया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

रमेश कुमार सुधांशु,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No-578/XVIII(1)/2024-E-48496 dated: August 14, 2024 for general information.

NOTIFICATION

August 14, 2024

No.578/XVIII(1)/2024-E-48496--Whereas, in view of public sentiments, it is necessary to change the name of town "NANAKMATTA" located in District Udhamasinghnagar to "SHRI NANAKMATTA SAHIB";

And whereas, in the letter No. 130/53 Public, dated September 11, 1953, of Government of India prior permission is required to be obtained from the Government of India on the proposal to change the name of villages & Tehsil;

And whereas, in letter number SM/28/13/2024, dated 10.04.2024 of Ministry of Science & Technology, Government of India and letter number 11/7/2024-M&G dated 15.07.2024 of Ministry of Home Affairs, Government of India has given its consent regarding changing the name of town "NANAKMATTA" to "SHRI NANAKMATTA SAHIB".

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P Act No. 1 of 1904), from the date of publication of this order in the Gazette, the Governor is pleased to allow to change the name of town "NANAKMATTA" situated in District Udhamasinghnagar, as per the schedule given below.

schedule

SL. No	Present name	Changed name
1.	NANAKMATTA	SHRI NANAKMATTA SAHIB

2- The Governor also directs that nothing in this Notification shall affect any legal proceedings already initiated or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the abovesaid

By Order ,

RAMESH KUMAR SUDHANSHU,

Principal Secretary.

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

11 जुलाई, 2024 ई०

पत्रांक 2272/तीन-80/चक० सं०/2023-24-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शा०सं०-181/XVIII(3)/2024-03(10)/2016, दिनांक 18 जून 2024 से प्राप्त अनुमति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ०प्र०अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-6 की उपधारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या-83/31-A-813-1954-Rev(A) दिनांक 19 अक्टूबर 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्रेश कुमार, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून जनपद हरिद्वार, तहसील हरिद्वार के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-159/मु०रा०आ०(चक०) दिनांक 08 मई 2003 में आंशिक संशोधन करते हुये तहसील हरिद्वार के निम्नलिखित ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करते हुये ग्राम की विज्ञप्ति को एतद्वारा निरस्त करता हूँ:-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1-	दादूबांस ग्रन्ट	हरिद्वार	रुड़की	हरिद्वार

विज्ञप्ति

11 जुलाई, 2024 ई०

पत्रांक 2279/तीन-301/चक० सं०/2017-18-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शा०सं०-180/XVIII(3)/2024-03(10)/2016, दिनांक 18 जून 2024 से प्राप्त अनुमति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ०प्र०अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-6 की उपधारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या-83/31-A-813-1954-Rev(A) दिनांक 19 अक्टूबर 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्रेश कुमार, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून जनपद हरिद्वार, तहसील हरिद्वार के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-159/मु०रा०आ०(चक०) दिनांक 08 मई 2003 में आंशिक संशोधन करते हुये तहसील हरिद्वार के निम्नलिखित ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करते हुये ग्राम की विज्ञप्ति को एतद्वारा निरस्त करता हूँ:-

क्र0सं0	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1-	अलीपुर इब्राहिमपुर	हरिद्वार	ज्वालापुर	हरिद्वार

चन्द्रेश कुमार,
आयुक्त एवं सचिव/
संचालक, चकबन्दी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2

कार्यालय ज्ञाप

15 जुलाई, 2024 ई0

संख्या-225299/XXIV-2-2024-07(07)/2017-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक: पा0शि0/सेवा-1/व्यक्तिगत/49-53/2024-25, दिनांक 02.04.2024 के माध्यम से शासन को प्राप्त श्री नरबीर सिंह बिष्ट, मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी/संयुक्त शिक्षा निदेशक के प्रत्यावेदन/नोटिस दिनांक 01.04.2024, में श्री नरबीर सिंह बिष्ट द्वारा व्यक्तिगत/पारिवारिक कारणों से दिनांक 15 जुलाई, 2024 की तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

2- श्री नरबीर सिंह बिष्ट के उपर्युक्त संदर्भगत प्रत्यावेदन/नोटिस दिनांक 01.04.2024 में किये गये अनुरोध के क्रम में श्री नरबीर सिंह बिष्ट, मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी/संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिनकी सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि दिनांक 03 जुलाई, 1965 तथा राजकीय सेवा में नियुक्ति की तिथि 08 जून, 1999 अंकित है, को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56(ग) के अधीन दिनांक 15 जुलाई, 2024 की अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- उपरोक्त प्रदत्त अनुमति के क्रम में श्री नरबीर सिंह बिष्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी/संयुक्त शिक्षा निदेशक, दिनांक 15 जुलाई, 2024 की अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे। यदि सेवानिवृत्ति की तिथि को श्री नरबीर सिंह बिष्ट के विरुद्ध कोई शासकीय धनराशि/व्यय का बकाया हो, तो उसकी वसूली श्री नरबीर सिंह बिष्ट के सेवानिवृत्तिक देयकों में से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

रविनाथ रामन,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-6

अधिसूचना

02 अगस्त, 2024 ई0

संख्या-298/XXVIII(6)/2024-E-74242-02(नर्सिंग)/2023-एतद्वारा स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-3 के खण्ड (झ) में विहित प्रावधानों के अधीन उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय नर्सिंग संस्थानों हेतु सुगम/दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हिकरण निम्नानुसार किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	संस्थान का नाम	सुगम/दुर्गम क्षेत्र
01	राजकीय नर्सिंग कॉलेज, टिहरी, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत, रुद्रप्रयाग, नैनीताल।	दुर्गम क्षेत्र
02	स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून, हल्द्वानी, बाजपुर, हरिद्वार, स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग, देहरादून।	सुगम क्षेत्र

आज्ञा से,
डॉ० आर० राजेश कुमार,
सचिव।

वित्त (पेंशन) अनुभाग-10

कार्यालय-ज्ञाप

05 अगस्त, 2024 ई०

संख्या-229869/XXVii(10)/2024-E-26942/2022-उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 एवं अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन नियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर दिनांक-01 अप्रैल, 2024 से दिनांक-30 जून, 2024 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। उक्त दर दिनांक-01 अप्रैल, 2024 से लागू होगी।

आज्ञा से,
डा० वी० षण्मुगम,
सचिव।

शहरी विकास अनुभाग-3

अनन्तिम अधिसूचना

26 जुलाई, 2024 ई०

संख्या 227908/IV(3)/2024-11(03 निर्वा०)/2022-उत्तराखण्ड की नगर पालिका परिषद् खटीमा, जिला-उधमसिंहनगर के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा-11क एवं 11ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिये आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो, तो वह लिखित रूप में जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर को प्रेषित की जायेगी। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिनों के भीतर प्राप्त होगी।

प्रस्तावित अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा-11क एवं 11ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद्, खटीमा, जिला-उधमसिंहनगर क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं :-

- (1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर पालिका क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।
- (2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 6 में उल्लिखित किया गया है।

नगर पालिका परिषद् खटीमा-ऊधम सिंह नगर

क्र०सं०	वार्ड संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड की जनसंख्या	वार्ड की सीमा	वार्ड में सम्मिलित मौहल्लों के नाम
1	2	3	4	5	6
1	1	उमरूखुर्द वार्ड	3860	पूरब-नहर से कंजाबाग रोड होते हुये दूध डेरी रोड तक। पश्चिम- राजस्व ग्राम सुजिया की सीमा से पूर्व तक। उत्तर- कंजाबाग रोड नहर होते हुए ग्राम सुजिया की पूर्वी सीमा तक। दक्षिण- कंजाबाग रोड से दूध डेरी रोड होते हुये ग्राम सुजिया की सीमा तक।	उदय कालौनी ब्यानधुरा कालौनी
2	2	कंजाबाग पटिया वार्ड	3980	पूरब-कंजाबाग नगर से खकरा नाला होते हुये विशाल के मकान तक। पश्चिम-कंजाबाग नगर से कंजाबाग रोड होते हुए जानकी मण्डप से पूर्व की ओर। उत्तर-कंजाबाग नहर तक। दक्षिण-विशाल के मकान से तसलीम के मकान को लेते हुए सुरेन्द्र शिव कुमार के खेत की दक्षिणी मेढ से रास्ते तक। शिवकुमार के खेत की दक्षिणी मेढ से बाग तक,	उत्तरांचल कालौनी सैनिक कालौनी पूर्णागिरी कालौनी

1	2	3	4	5	6
				बाग से बाबू प्रधान के घर तक। बाबू प्रधान के घर से पश्चिम की ओर कंजाबाग रोड तक।	
3	3	टिगरी वार्ड	3676	पूरब-नदन्ना नहर पुल से दक्षिण रेलवे लाईन होते हुए ग्राम अमाउ की उत्तरी सीमा से पूरब की ओर गिरीश भट्ट के मकान को लेते हुए नहर-नहर धामी जी के बारात घर तक। पश्चिम-नयारा पेट्रोल पम्प से उत्तर की ओर अलक्ष्या पब्लिक स्कूल को लेते हुए पुष्कर सिंह को खेत को लेते हुए उत्तर की ओर नदन्ना नहर तक। उत्तर-नहर न0 3 वाली रोड से पूरब की ओर रेलवे लाईन तक। दक्षिण- धामी जी के बारात घर से नयारा पेट्रोल पम्प तक।	साईधर्म काँटा, टिगरी चौराहा
4	4	ईदगाह वार्ड	3936	पूरब-विशाल के मकान से दक्षिण दिशा में खकरा नाला होते हुए ईदगाह तक। पश्चिम-नफीस खॉ के मकान से उत्तर को मास्टर साहब के मकान(गौँच वाले) से मेंहदी हसन की चक्की को होते हुए सुरेन्द्र व शिवकुमार के खेत की दक्षिण मेढ तक पूर्व में। उत्तर-विशाल के मकान से तसलीम के मकान को लेते हुए सुरेन्द्र व शिवकुमार के खेत की दक्षिण मेढ से रास्ते तक। दक्षिण-ईदगाह को लेते हुए जाहिद चिकन से अशफाक अंसारी के मकान से पश्चिम की ओर नफीस खॉ के मकान तक उत्तर की ओर।	मदीना मस्जिद, नई बस्ती

1	2	3	4	5	6
5	5	अमाऊँ वार्ड	3631	पूरब—नैनीताल फ्लोर मिल्स से उत्तर की ओर अलक्ष्या पब्लिक स्कूल के सामने नहर न0 3 वाली रोड से पंकज राठौर के मकान व नहर न0 3 वाली रोड के दोनों ओर के मकानों को लेते से नदन्ना नहर तक। पश्चिम—नदन्ना नहर से दक्षिण की ओर खकरा नाले होते हुए नैनीताल फ्लोर मिल्स। उत्तर—नदन्ना नहर न0 3 रोड से पश्चिम की ओर खकरा नाले की सीमा तक। दक्षिण—नैनीताल फ्लोर मिल्स खकरा तक।	अमाऊँ, पूर्णागिरी कॉलोनी, सरदार पट्टी, पहाड पट्टी
6	6	झनकईया	3530	पूरब— लोहिया हैड रोड पौलिप्लकस फैक्ट्री से उत्तर की ओर ग्राम अमाउ की सीमा तक। पश्चिम—जुनेजा फ्लोर मिल्स से उत्तर की ओर रोशन राम के घर से पूरब की ओर सडक को लेते हुए धामी जी के बारात घर के सामने से उत्तर की ओर ग्राम अमाउ की सीमा गिरीश भट्ट के मकान तक। उत्तर—ग्राम अमाउ की सीमा पूरब की ओर वन विभाग की सीमा तक। दक्षिण— जुनेजा फ्लोर मिल्स से पूरब में पौलिप्लकस फैक्ट्री से लगे नाले तक।	पंचशील कॉलोनी, पौलीप्लैक्स, सराफ पब्लिक स्कूल, एम0जे0मार्केट
7	7	रजा मस्जिद वार्ड	4120	पूरब—कब्रिस्तान की उत्तर की बाउन्ड्री से खकरा नाला होते हुए रईस के मकान तक। पश्चिम—याकूब शाह के मकान से डा0 अफसार के मकान तक।	ईदगाह

1	2	3	4	5	6
				उत्तर-कब्रिस्तान को लेते हुए याकूब शाह के मकान तक। अशफाक अंसारी के मकान से पश्चिम की ओर नफीस खॉ के मकान तक उत्तर की ओर। दक्षिण-रईस के मकान से पश्चिम दिशा की ओर जमीर के मकान को लेते हुए अनीस खॉ से लेकर अनीस कुरैशी के मकान को लेते हुए शेर खॉ चौक तक। शेर खॉ चौक से डा० अफसार के मकान तक।	
8	8	इस्लामनगर वार्ड	4130	पूरब-जानकी मण्डप से इस्लाम नगर रोड होते हुए कादरी क्लिनिक तक। पश्चिम-जानकी मण्डप से ऐठा नाला। उत्तर-जानकी मण्डप पश्चिम दिशा की ओर सलीम अंसारी के मकान तक। दक्षिण-कादरी क्लिनिक से पप्पू घड़ी वाली की पुलिया तक।	इमामबाड़ा, खानकाह, खुशबू मैरिज हॉल
9	9	कुरैशी मस्जिद वार्ड	4189	पूरब-अययूब के मकान से खकरा नाले के साथ साथ स्लाटर हाउस के दक्षिणी दीवार तक। पश्चिम- नूर मोहम्मद फड वाले के मकान से शेर खॉ चौक से इस्लाम नगर रोड होते हुए बाबू कुरैशी के मकान को लेते हुए नूरी मस्जिद तक। नूरी मस्जिद से आलम कुरैशी के मकान तक। उत्तर-नूर मोहम्मद फड वाले के मकान से डा० रईस के क्लिनिक से खकरा नाले तक।	स्लाटर हाउस, नूरी मस्जिद

1	2	3	4	5	6
				दक्षिण-आलम कुरैशी के मकान से होते हुए स्लाटर हाउस की दीवार तक।	
10	10	गौटिया वार्ड	4139	पूरब-टनकपुर रोड स्थित सन्तोष मल्होत्रा की दुकान से उत्तर की ओर श्मशान घाट के पास खकरा नाले की पुलिया तक। पश्चिम-कुरैशी मस्जिद से दक्षिण की ओर गुड्डु के मकान को लेते हुए ईशाक के मकान तक। उत्तर-कुरैशी मस्जिद के उत्तर वाले रास्ते को लेते हुए स्लाटर हाउस नाले तक। स्लाटर हाउस से श्मशान घाट के पास खकरा नाले की पुलिया तक। दक्षिण-ईशाक के मकान से ऐंठा नाले होते हुए अख्तर अली के मकान तक व अख्तर अली के मकान से टनकपुर रोड स्थित सन्तोष मल्होत्रा की दुकान तक।	शर्फी नर्सरी स्कूल, गौटिया, आजाद नगर, रहीम नगर
11	11	न्यू तहसील वार्ड	3840	पूरब-किशन सिंह के मकान से (खकरा नाले होते हुए) मछली मण्डी की पुलिया तक। पश्चिम-सितारगंज रोड भूड नहर से उत्तर की ओर ग्राम सुजिया की सीमा तक। उत्तर-ग्राम सुजिया की पूरब सीमा से दूध डेरी होते हुए कंजाबाग रोड तक। दक्षिण-मछली मण्डी की पुलिया से सितारगंज रोड होते हुए भूड नहर तक।	थारु राजकीय इंटर कॉलेज, शिव मन्दिर, कंजाबाग, नागरिक चिकित्सालय, न्यू तहसील
12	12	महोलिया वार्ड	3840	पूरब-नन्दा बल्लभ गहतोडी के घर से नहर होते हुए सितारगंज रोड से को पार	थारु विकास भवन, लोहियापूल, आर्दश कॉलौनी

1	2	3	4	5	6
				करते हुए तारा चन्द के मकान तक। तारा चन्द के मकान से खटीमा की ओर मनोज सिंह देउपा की दुकान से दक्षिण में डिग्री कॉलेज रोड होते हुए डा० कल्याण सिंह के मकान तक। डा० कल्याण सिंह के मकान से गंगा सिंह के मकान व गंगा सिंह मुण्डेला के मकान से किड जी स्कूल होते हुए ओझा जी की दुकान लेते हुए नहर तक। नहर से लेकर कैलाशचन्द के घर तक। पश्चिम-ग्राम महोलिया की सीमा से दक्षिण दिशा में लोहिया पुल से ग्राम महोलिया के ख०न० 393 तक। उत्तर-ग्राम महोलिया के ख०न० 01 से पूरब दिशा में नन्दाबल्लभ गहतोडी के पास नहर तक। दक्षिण-ग्राम महोलिया के ख०न० 393 से पूरब दिशा में ज्योति क्रिएटिव स्कूल से ग्राम महोलिया की दक्षिणी सीमा में कैलाशचन्द के घर तक।	
13	13	अम्बेडकर नगर वार्ड	3941	पूरब-ऐंठा नाले की परगणेश इम्पोरियम से पीलीभीत रोड से वन निगम तक। पश्चिम-सुभाष बिष्ट के मकान से सरस्वती कोचिंग सेन्टर होते हुए राजेश पाण्डे से होते हुए योगेश पन्त एडवोकेट के मकान से होते हुए जीवन ओली की दुकान से होते हुए नहर से पहले धीरज पाण्डे की दुकान को होते हुए दीपा जोशी के मकान तक। उत्तर-ऐंठा नाले की	वाल्मिकी बस्ती, पुरानी तहसील, कुर्माचल कॉलौनी, डिग्री कॉलेज, टीचर कॉलौनी

1	2	3	4	5	6
				परगणेश इम्पोरियम से पश्चिम की ओर को तवाली होते हुए सुभाष बिष्ट के मकान तक। दक्षिण-दीपा जोशी के मकान से ग्राम महोलिया की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम खटीमा में रमेश जोशी की लकड़ी की टाल पीलीभीत रोड तक।	
14	14	सनातन धर्मशाला वार्ड	3760	पूरब-खकरा नाले से रेलवे लाईन होते हुए खेतल सण्डा फाटक तक। पश्चिम-खकरा नाले की पुलिया से वत्रा राईस मिल्स से दक्षिण दिशा की ओर पीलीभीत रोड होते हुए वन निगम तक। उत्तर-वत्रा राईस मिल्स से रेलवे लाईन तक। दक्षिण-वन निगम से पूरब की ओर रेलवे लाईन तक।	रेलवे कॉलौनी, सनातन धर्मशाला, होटल वेस्ट व्यू पंजाबी कॉलौनी
15	15	राजीव नगर वार्ड	3734	पूरब-शहीद गोविन्द सिंह के गेट से पश्चिम की ओर जितेन्द्र ठाकुर के घर के सामने वाली गली से होते हुए रस्तोगी के मकान को लेते हुए मिश्रा जी के प्लाट व सतनाम सिंह का खेत लेते हुए महेन्द्र गुप्ता के मकान को लेते हुए जानकी ओली के प्लाट तक। पश्चिम-रेलवे लाईन। उत्तर-लोहिया हैड रोड रेलवे लाईन से पूर्व की दिशा की ओर शहीद गोविन्द सिंह के गेट। दक्षिण-मेला घाट रोड पूरब दिशा की ओर जान की ओली के प्लाट तक।	
16	16	पकड़िया वार्ड	3680	पूरब-लोहिया हैड रोड स्थित	बंगाली कॉलौनी,

1	2	3	4	5	6
				फाईबर पैक्ट्री के पूरब में पकडिया, राना नाले से होते हुए मेला घाट कॉलोनी, रोड तक वन विभाग की झनकईया सीमा से पश्चिम में। पश्चिम-सुरेश जीना के मकान से दक्षिण दिशा में प्रेम सिंह के प्लाट को लेते हुए पूरब दिशा में ईश्वरी चन्द मोर्या के मकान से होते हुए राघव प्रसाद यादव के मकान से एम0डी0 गौतम के मकान से प्रमोद रस्तोगी के मकान तक। उत्तर-सुरेश जीना के मकान से पूरब दिशा में होते हुए फाईबर पैक्ट्री की सीमा तक। दक्षिण-प्रमोद रस्तोगी के मकान से पूरब दिशा में होते हुए शराब भट्टी की सीमा तक।	
17	17	शिव कॉलोनी वार्ड	3890	पूरब-रमेश जोशी की लकडी टाल से दक्षिण पीलीभीत रोड होते हुए मुन्डेली चौराहे तक। पश्चिम-गीता जोशी के मकान से नौगवा ठग्गू नहर होते हुए गोरी शंकर महादेव मन्दिर होते हुए नौगवा ठग्गू रोड निगम नहर पुलिया बबलू सिद्धकी के पोल्टी फार्म तक। उत्तर-गीता जोशी के मकान से पूरब की ओर रमेश जोशी की लकडी की टाल पीलीभीत रोड तक। दक्षिण-नौगवाठग्गू रोड निगमनहर पुलिया बबलू सिद्धकी के पोल्टी फार्म से मुन्डेली चौराहे तक।	शिव कॉलोनी नौगवाठग्गू

1	2	3	4	5	6
18	18	खेतलसण्डा खाम वार्ड	3600	पूरब-रंजीत सिंह पिलखवाल के मकान से दक्षिण दिशा में ग्राम खेतल सण्डा की सीमा तक। पश्चिम-मेला घाट रोड से रेलवे लाईन होते हुए ग्राम खेतल सण्डा की सीमा तक। उत्तर-रेलवे लाईन से रंजीत सिंह पिलखवाल के घर तक। दक्षिण-रेलवे लाईन होते हुए ग्राम खेतलसण्डा की दक्षिणी सीमा होते हुए एलकेमिस्ट रोड तक।	खेतलसण्डाखाम
19	19	ऊँचीमहुवट वार्ड	3201	पूरब-मेलाघाट रोड से वन विभाग की सीमा से पश्चिम दिशा को जाते हुए ऊँची महुवट रोड तक। पश्चिम-मेलाघाट रोड से रफीक के मकान से दक्षिण दिशा में ग्राम खेतलसण्डा की सीमा तक। उत्तर-मेलाघाट रोड को लेते हुए रफीक के मकान से पूरब की दिशा में तुलसी के घर तक। दक्षिण-वन विभाग की सीमा से पश्चिम की ओर ऊँचीमहुवट रोड होते हुए नाले तक व ग्राम खेतलसण्डा की सीमा एलकेमिस्ट रोड तक।	ऊँचीमहुवट
20	20	मुण्डेली वार्ड	3502	पूरब-राधा स्वामी संत्सग भवन के उत्तरी सीमा के बाद रेलवे लाईन से लेकर चौंदा रोड तक। पश्चिम-नौगवाठगू रोड निगम नहर पुलिया बबलू सिद्धकी के पोल्टोफार्म के आगे से ईस्टर पैक्ट्री तक। उत्तर-नौगवाठगू रोड निगम	मुण्डेली, नोजगो पब्लिक स्कूल, तारा बाल संस्थान, भुजिया न0-03

1	2	3	4	5	6
				नहर पुलिया बबलू सिद्धकी के पोल्टीफार्म से मुन्डेली चौराहे होते हुए राधा स्वामी सत्संग भवन तक। दक्षिण-ईस्टर पैक्टी के दक्षिण में रास्ते को लेते हुए पीलीभीत रोड के पार करते हुए मस्जिद वाली गली से होते हुए रेलवे लाईन तक।	

आज्ञा से,
नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

20 अगस्त, 2024 ई0

संख्या-1394/VII-A-1/2024-26 (अधिष्ठान)/2015-भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत अपर निदेशक, वेतनमान रूपये 123100-215900 (लेवल-13) के रिक्त पद पर नियमित चयनोपरान्त श्री अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को तत्काल प्रभाव से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. अपर निदेशक के पद पर पदोन्नत श्री अनिल कुमार, उत्तराखण्ड भूतत्व एवं खनिकर्म समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2024 के नियम-19 में विहित परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

कार्यालय-ज्ञाप

20 अगस्त, 2024 ई0

संख्या-1395/VII-A-1/2024-26 (अधिष्ठान)/2015-भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक, वेतनमान रूपये 78,800-2,09,200 (लेवल-12) के रिक्त पद पर नियमित चयनोपरान्त श्री गंगाधर प्रसाद, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तरकाशी को तत्काल प्रभाव से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत श्री गंगाधर प्रसाद, उत्तराखण्ड भूतत्व एवं खनिकर्म समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2024 के नियम-19 में विहित परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

कार्यालय-ज्ञाप

20 अगस्त, 2024 ई०

संख्या-1396/VII-A-1/2024-26 (अधिष्ठान)/2015-भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक, वेतनमान रुपये 78,800-2,09,200 (लेवल-12) के रिक्त पद पर नियमित चयनोपरान्त श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को तत्काल प्रभाव से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत श्री दिनेश कुमार, उत्तराखण्ड भूतत्व एवं खनिकर्म समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2024 के नियम-19 में विहित परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,
लक्ष्मण सिंह,
अपर सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 23, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

August 30, 2024

No. 339/XIV-71/Admin.A/2003--Ms. Neena Aggarwal, Judge, Family Court, Almora is hereby sanctioned earned leave for 40 days w.e.f. 03.06.2024 to 12.07.2024 with permission to prefix 02.06.2024 as Sunday holiday and suffix 13.07.2024 & 14.07.2024 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNAL, DEHRADUNCHARGE CERTIFICATE

July 15, 2024

No. 186/PST/Admin-IV/2024/Dehradun--Certified that after availing of the Earned Leave for 12 days since 01.07.2024 to 12.07.2024, sanctioned vide order No-28, dated 27.06.2024, the charge of Registrar, Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun has been taken over, as denoted hereunder, in the forenoon of 15 July, 2024.

DHARMENDRA KUMAR SINGH,

Registrar,

Uttarakhand Public Services Tribunal,

Dehradun.

Counter Signature

illegible,

Chairman,

Uttarakhand Public Services Tribunal,

Dehradun.

कार्यालय—अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून

(कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र)

12 जुलाई, 2024 ई०

पत्रांक—वाकअधि०/अधि०/तृतीय सदस्य/80(4)/256/2024—प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 219978/2024/12(100)/XXVII(8)/2003, दिनांक 27-6-2024 के अनुक्रम में मेरे द्वारा सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तराखण्ड, देहरादून पीठ के पद का अतिरिक्त कार्यभार आज दिनांक 12-7-2024 की पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया।

अंजली बेंजवाल,

पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

देहरादून।

प्रतिहस्ताक्षरित,

मलिक मजहर सुलतान,

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 37 हिन्दी गजट/402-भाग 1-क-2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 23, 1946 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैं आमी नं0-15101758Y Rank SEPOY श्री शंकर सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ओल्ड मिठढी बेहड़ी, प्रेम नगर जिला—देहरादून, उत्तराखण्ड। मेरे आर्मी दस्तावेजों में मेरा नाम Shanker singh त्रुटिवश गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही वास्तविक नाम Shankar Singh है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

श्री शंकर सिंह पुत्र श्री राम सिंह
निवासी ओल्ड मिठढी बेहड़ी,
प्रेम नगर जिला—देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

Due to personal reasons, I have changed the name of my son from Hardik to Madhavan Pandit. In future my son should be known and called as Madhavan Pandit S/o Shri Anuj Pandit.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Anuj Pandit
355, Chow Mandi Roorkee
District Haridwar

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं० 737821281819 में त्रुटिवश मेरा नाम Preeti Pandey दर्ज हो गया जबकि मेरा वास्तविक नाम Preeti Saini है। भविष्य में मुझे Preeti Saini C/o Sita Ram के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Preeti Saini C/o Sita Ram
निवासी 53, न्यू धीरवाली ज्वालापुर
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

I have changed my name from Yash Ahuja to Shivam Ahuja due to personal reasons. In future I should be known as Shivam Ahuja S/o Harsh Ahuja R/o Malkapur Mazra PO Dhanderi Roorkee District Haridwar.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Shivam Ahuja S/o Harsh Ahuja
R/o Malkapur Mazra PO Dhanderi
Roorkee District Haridwar.

सूचना

I, Mr. Nabin Chandra, S/o Mr. Keshavdutt Gururani, R/o 15 Govind Garh, Dehradun, Uttarakhand, In my office Bharat Heavy Electricals Limited, Ranipur Haridwar medical record my wife name wrongly written as Mohini. But my wife correct name is Meena Gururani. In future my wife should be known as Meena Gururani.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Nabin Chandra,

S/o Mr. Keshavdutt Gururani,

R/o 15 Govind Garh, Dehradun,

Uttarakhand.

सूचना

मैंने अपने पुत्र का नाम अयांश सिंह से बदलकर अभ्युदय राठौर (ABHYUDAYA RATHORE) कर लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को अभ्युदय राठौर के नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अनिल कुमार पुत्र स्व० श्री कल्याण सिंह

निवासी-ओ०बी०सी०-33 यमुना कॉलोनी,

देहरादून, उत्तराखण्ड।